

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016 51/20-21 प्र० 5-बी/राँची, दिनांक 26-03-2021
प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०-हिन्तू राँची।

द्वारा :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार

विषय :- सिंचाई प्रमण्डल-2, जामताड़ा अजय बराज योजना के मुख्य नहर के चेन सं०-460.00 से चेन सं० 1700.00 तक के शाखा नहर एवं वितरणियों की मरम्मत एवं सम्पोषण कार्य हेतु कुल रु० 83.16 लाख (रुपये तीरासी लाख सोलह हजार) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेश स्वीकृत

2. सिंचाई प्रमण्डल-2, जामताड़ा अजय बराज योजना के मुख्य नहर के चेन सं०-460.00 से चेन सं० 1700.00 तक के शाखा नहर एवं वितरणियों की मरम्मत एवं सम्पोषण कार्य हेतु कुल रु० 83.16 लाख (रुपये तीरासी लाख सोलह हजार) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

3. प्रस्तावित कार्य का अव्यवहार विवरणी निम्नवत् है :-

S.N.	Name of work	Amount (Rs.)
(i)	Repair & Maintenance of Rangasol Branch canal	Rs. 5455874.00
(ii)	Repair and Maintenance of Dhutla Distributory	Rs. 57021.00
(iii)	Repair and Maintenance of Dimjori Distributory	Rs. 52695.00
(iv)	Repair and Maintenance of Hidaajori Distributory	Rs. 2750799.00
Total :-		Rs. 8316389.00
Say :-		Rs. 83.16 Lakhs

4. यह कार्य वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रारम्भ कर वर्ष 2021-22 में पूर्ण कराया जाएगा।

5. इस कार्य पर होनेवाला व्यय:-

मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-46-सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य के अन्तर्गत भारित होगा।

6. जल संसाधन विभाग के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में

(i) शीर्ष 4701-80-789-46-05-45 अन्तर्गत ₹ 373.00 लाख का एकमुश्त प्रावधान है।

7. उक्त प्रस्तावित कार्य सिंचाई प्रमण्डल-2, जामताड़ा द्वारा कराया जायेगा। इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल-2, जामताड़ा होंगे एवं मुख्य अभियंता, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

8. प्रस्तावित कार्य के लिए राशि की निकासी कोषागार जामताड़ा से की जायेगी।

9. इसके कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से पालन करना अनिवार्य होगा।

10. इस कार्य के लिए वर्ष 2020-21 के बजट में उपबंध है।

11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अंतर्गत होगा।

12. कोषागार से राशि की निकासी प्राक्कलन के अनुरूप वास्तविक कार्य के आधार पर तैयार विपत्र के आलोक में की जायेगी।

13. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।
14. प्रस्ताव पर विभागीय सचिव, जल संसाधन विभाग की स्वीकृति प्राप्त है।
15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०-हिन्नु राँची को संसूचित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(प्रशांत कुमार)

सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016 51/20-21 प्र० 2वीं/राँची, दिनांक 26-03-2021

प्रतिलिपि :- आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार झारखण्ड राँची को प्रेषण हेतु/योजना-सह-वित्त विभाग (योजना प्रभाग) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016 51/20-21 प्र० 2वीं/राँची, दिनांक 26-03-2021

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जामताड़ा कोषागार झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016 51/20-21 प्र० 2वीं/राँची, दिनांक 26-03-2021

प्रतिलिपि :- सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-1, जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल-2, जामताड़ा/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्रमण्डल-3, जल संसाधन विभाग को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी-7, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016 51/20-21 प्र० 2वीं/राँची, दिनांक 26-03-2021

प्रतिलिपि :- उपायुक्त, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिला अंतर्गत माननीय सांसद एवं विधायकगण को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांक :- 1/पी०एम०सी०/कार्य/960/2016 51/20-21 प्र० 2वीं/राँची, दिनांक 26-03-2021

प्रतिलिपि :- माननीय मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(अशोक कुमार दास)

सरकार के संयुक्त सचिव